(अत्यावश्यक)

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/22444/विविध/वो–2(26–II)/2026 दिनांक : यथा ई– हस्ताक्षर

–:: परिपत्र ::–

राज्य सरकार, "In Loco Parentis" (अभिभावक के समान दायित्व) के सिद्धांत के अंतर्गत, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, निजता एवं कल्याण की विशेष जिम्मेदारी वहन करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक बालक को जीवन, गरिमा एवं निजता का अधिकार प्रदान करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के निर्णय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्कूल सुरक्षा नीति एवं दिशा–निर्देश इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं बाल–अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए तथा उन्हें शोषण एवं निजता के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करे।

अतः विद्यालय शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने तथा विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की सुरक्षा, संरक्षा एवं निजता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अग्रांकितानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए :–

1. प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, केवल वे शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे, जो अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत हों।
2. प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा।
3. प्रधानाचार्य, किसी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय अथवा विद्यार्थियों की किसी भी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
4. प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी तथा यह केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए ही अनुमन्य होगी।
5. विद्यालय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन अथवा प्रसार न हो जिससे उनकी निजता, गरिमा अथवा सुरक्षा प्रभावित हो।
6. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इंकार करता है, अनाधिकृत फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का प्रयास करता है अथवा विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस तथा जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लागू विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

RajKaj Ref No.:
24063903

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-16
18:11:53 IST

v-1.0

7. प्रधानाचार्य किसी भी ऐसे आगंतुक का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं, जिसकी उपस्थिति से सुरक्षा, निजता, अनुशासन अथवा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो।
8. प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी आगंतुक व्यक्तिगत बालक–बालिका की जानकारी का संग्रह अथवा उसकी पहचान या छवि का प्रकाशन नहीं करेगा, जो गतिविधि बालक–बालिका के सर्वोत्तम हित में न हो तथा उससे उसकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो।
9. समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी उल्लिखितानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान आवश्यकतानुसार बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर छोड़ने के निर्देश दे सकते हैं, स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त कर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अन्य विद्य मान विधियों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं।

प्रदत्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। (जरिये ई–मेल)।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5) विभाग, जयपुर। (जरिये ई–मेल)
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर। (जरिये ई–मेल)
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर। (जरिये ई–मेल)
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाये जाने बाबत। (जरिये ई–मेल)
8. निजी सचिव/निजी सहायक/स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई–मेल)
9. सहायक निदेशक, पीएसपी/वीआईपी/मॉनिटरिंग/सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा। (जरिये ई–मेल)

RajKaj Ref No.:
24063903

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-16
18:11:53 IST

10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई–मेल)
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर। (जरिये ई–मेल)
12. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। (जरिये ई–मेल)
13. समस्त डाइट प्राचार्य। (जरिये ई–मेल)
14. मेनेजर, गुरूनानक भवन संस्थान, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–**माध्यमिक/प्रारम्भिक** को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)
16. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)
17. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
18. समस्त छात्रावास अधीक्षक।
19. समस्त संस्था–प्रधान।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

RajKaj Ref No.:
24063903

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-16
18:11:53 IST